भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2576
दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडिशा में बल्क ड्रग पार्क

2576 श्री मानस रंजन मंगराजः
श्रीमती सुलता देवः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) या किसी अन्य केंद्रीय योजना के तहत ओडिशा में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसके कार्यान्वियन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन की योजना को मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 20.03.2020 को देश में तीन (3) बल्क औषधि पार्कों की स्थापना की सुविधा के लिए अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करके बल्क औषधियों के विनिर्माण की लागत को कम करना था। इससे बल्क औषधियों के उत्पादन के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में भी सहयोग प्राप्त होगा।

बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन की योजना के अन्तर्गत, विभाग को तेरह राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मूल्यांकन के बाद, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

"बल्क औषधि पार्कों का संवर्धन" योजना और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) या औषध विभाग की किसी अन्य केंद्रीय योजना के अन्तर्गत ओडिशा में बल्क औषधि पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
